

08¹/₂

आज यह पत्रावली पेश हुई। जार्जीना
 दावा अदम्य हाजिरी अदम्य पर बी में
 खारिज किया जा चुका है। अदम्य पर
 पत्र 242 जो अगले चलाने का का है
 योजित नहीं है। इसलिए जार्जीना पत्र
 इसी अदम्य पर खारिज किया जाता है।
 जार्जीना पत्र फैसल सुनार होकर नम
 के अम होकर मूल वाद है साथ
 फैसल न रहे।


उपखण्ड अधिकारी
बहरोड़ (कोटपूतली-बहरोड़)